राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में

<u>2024 का विधेयक संख्यांक 18</u>

[दि वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ पोल्यूशन) अमेंडमेंट बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

जल (प्रदूषण, निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को संसद् द्वारा पारित किया गया था ; 1974 का 6

जीवनयापन और कारबार करने में सरलता के लिए विश्वास आधारित प्रशासन में और वृद्धि करने के लिए गौण अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और सुव्यवस्थीकरण करने के लिए उसमें कतिपय संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ;

और संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के साथ पठित उसके खंड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों की विधान सभाओं द्वारा इस प्रभाव के संकल्प पारित किए गए हैं कि अधिनियम को इसमें इसके पश्चात् दिए गए प्रयोजनों के लिए संसद् के अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए ;

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 है ।

(2) सर्वप्रथम यह कि संपूर्ण हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होगा ; और यह उन अन्य राज्यों को लागू होगा, जो इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के साथ पठित उसके खंड (1) के अनुसरण में इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करते हैं ।

(3) यह हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में तुरंत प्रवृत्त हो जाएगा और यह उन अन्य राज्यों को लागू होगा जो इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के साथ पठित उसके खंड (1) के अनुसरण में इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करते हैं ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में "राज्य सरकार द्वारा" शब्दों के पश्चात् "ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । 1974 का 6

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (9) में "ऐसी होंगी" शब्दों के पश्चात् "जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बोर्ड के साथ परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा औद्योगिक संयंत्रों की कतिपय श्रेणियों को इस उपधारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी ।"।

नई धारा 27क का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगा, अर्थात् :—

दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति ।

"27क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बोर्ड के साथ परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी उद्योग, किसी प्रचालन या संक्रिया या किसी उपचार और निदान प्रणाली या किसी नए या परिवर्तित आउटलेट को उपयोग में लाने, जिसके अंतर्गत धारा 25 के अधीन किए गए आवेदन के समयबद्ध निपटान का तंत्र या ऐसी सहमति की वैधता की अवधि सम्मिलित है, के लिए नए उद्योग की स्थापना के लिए किसी राज्य बोर्ड द्वारा दी गई सहमति अनुदत्त करने, उससे इंकार करने या उसे रद्द करने से संबंधित विषयों पर दिशानिर्देश जारी कर सकेगी ।

(2) प्रत्येक राज्य बोर्ड धारा 25 या धारा 27 के अधीन सहमति अनुदत्त करने, उससे इंकार करने या रद्द करने के प्रयोजनों के लिए अपने कृत्यों का निर्वहन उपधारा (1) के अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार करेगा ।"।

धारा 41 के स्थान पर नई धारा 41 और धारा 41क का रखा जाना ।

6. मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 20 के उपबंधों का अनुपालन करने या उसके अधीन जारी अनुदेशों का अनुपालन करने में असफलता ।

"41. (1) जो कोई धारा 20 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दिए गए निदेशों का उल्लंघन करता है या ऐसे समय के भीतर, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन नहीं करता है, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अननुपालन के लिए शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन या अननुपालन जारी रखता है वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

धारा 32 के उपबंधों या धारा 33 या धारा 33क के अधीन जारी अनुदेशों का अनुपालन करने में असफलता ।

41क. (1) जो कोई धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन जारी किसी आदेश या निदेशों या धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय द्वारा जारी निदेशों या धारा 33क के अधीन जारी किसी निदेश का उल्लंघन करता है या अननुपालन करता है, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अननुपालन के लिए शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगी ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन या अननुपालन जारी रखता है वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

धारा 42 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 42 में,—

(क) उपधारा (1) में दीर्घ पंक्ति के स्थान निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :—

"शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगी" ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन या अननुपालन जारी रखता है, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।"।

धारा 43 और धारा 44 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 43 और धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 24 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

"43. जो कोई धारा 24 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगी और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

धारा 25 या धारा 26 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

44. जहां धारा 25 या धारा 26 के उपबंधों के अनुसरण में अनुदत्त सहमति के प्रयोजन के लिए किसी मीटर या पैमाने या अन्य मापन या मानीटरी युक्ति का उपयोग अपेक्षित है और ऐसी युक्ति का उपयोग उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, कोई व्यक्ति, जो जानते हुए या जानबूझकर ऐसी युक्ति में परिवर्तन करता है या हस्तक्षेप करता है ताकि वह उसको सही प्रकार से मानीटर करने या माप लेने से निवारित कर सके, वह शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी ।"।

धारा 45 का लोप ।

9. मूल अधिनियम की धारा 45 का लोप किया जाएगा ।

धारा 45क के स्थान पर नई धाराओं 45क से धारा 45ङ तक का प्रतिस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 45क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :—

'45क. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम किन्हीं उपबंधों या तदधीन जारी किए गए किसी आदेश या निदेशों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, शास्ति का संदाय करने का दायी होगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगी और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।'

न्यायनिर्णायक अधिकारी ।

45ख. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार की संयुक्त सचिव या राज्य सरकार की सचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी को, ऐसी रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने, जो विहित की जाए, के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति करेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने अपेक्षित हों ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य देने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ किसी व्यक्ति की उपस्थिति को प्रवृत्त कर सकेगी या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए प्रवृत्त कर सकेगी, जो न्यायनिर्णायक

अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो और ऐसी जांच के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, वह ऐसी शास्ति अवधारित कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन वह ठीक समझे :

परंतु ऐसी किसी शास्ति को संबंधित व्यक्ति को उस मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

(3) धारा 41. धारा 41क, धारा 42, धारा 43, धारा 44, धारा 45क और धारा 48 के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व के अतिरिक्त होगी ।

2010 का 19

अपील ।

45ग. (1) धारा 45ख के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

2010 का 19

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी जिस तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है ।

(3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील किए गए आदेश को पुष्ट करते हुए, उपांतरित करते हुए या अपास्त करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है, ऐसी अपील को अधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम के दस प्रतिशत को अधिकरण के पास जमा नहीं कर देता है ।

शास्ति की रकम का पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा किया जाना ।

45घ. जहां न्यायनिर्णायक अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, शास्ति या अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करता है, ऐसी शास्ति की रकम को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा किया जाएगा ।

1986 का 29

धारा 25 या धारा 26 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता और शास्ति संदाय करने में असफलता के अपराध ।

45ङ. (1) जो कोई धारा 25 या धारा 26 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी प्रत्येक असफलता के संबंध में वह कारावास से, जो एक वर्ष और छह मास से कम नहीं होगा, किंतु जो छह वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा और असफलता के जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसा प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसी असफलता जारी रहती है, पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की अवधि से परे जारी रहती है, अपराधी कारावास से, जो दो वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से

दंडनीय होगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथास्थिति अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का ऐसे अधिरोपण के नब्बे दिन के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति की रकम के दोगुने या दोनों से दंडनीय होगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा में की कोई बात ऐसे व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(5) उपधारा (4) में की किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम भी है ; और

(ख) निदेशक के अंतर्गत, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक, फर्म का भागीदार, सोसाइटी या न्यास या किसी व्यष्टि संगम के सदस्य सम्मिलित हैं ।

धारा 47 का लोप ।

11. मूल अधिनियम की धारा 47 का लोप किया जाएगा ।

धारा 48 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति ।

"48. (1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है, विभाग का अध्यक्ष एक मास के मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसा विभागाध्यक्ष ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह

यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या उसे अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की असावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अधिकारी अपने एक मास के मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसा अधिकारी ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था ।"।

धारा 49 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) न्यायनिर्णायक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ; या" ।

धारा 63 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन राज्य बोर्ड के अध्यक्ष के नामनिर्देशन की रीति और धारा 5 की उपधारा (9) के अधीन राज्य बोर्ड के अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें ;";

(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(डक) धारा 45ख के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ;"।

धारा 64 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के खंड (ङ) में, "धारा 5 की उपधारा (9) के अधीन राज्य बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य-सचिव" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "राज्य बोर्ड का सदस्य-सचिव" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का उपबंध करने तथा जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखने और पूर्वावस्था में लाने के लिए, पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए, उनसे सम्बन्धित शक्तियां और कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था । जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 252 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों की विधान सभाओं ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने के लिए, जैसा कि वर्तमान विधेयक में प्रस्तावित है, संकल्प पारित किया है ।

2. लोकतांत्रिक शासन का मुख्य पहलू अपने लोगों और संस्थाओं में विश्वास करने वाली सरकार में निहित होता है । निरर्थक नियमों और विनियमों का ताना-बाना इस विश्वास में कमी लाता है । सरकार का यह प्रयास रहा है कि वह 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' के सिद्धांत को प्राप्त करे । उक्त अधिनियम, अन्य बातों के साथ, उसके उपबंधों की अननुपालना या उल्लंघन के लिए कारावास से दंडनीय विभिन्न दांडिक उपबंध विहित करता है । गौण उल्लंघनों, जो साधारण उल्लंघन है, जिनसे मानवों को कोई क्षति या पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, के लिए कारावास का उपबंध अनेक बार कारबार और नागरिकों को उत्पीड़न कारित करता है तथा ये जीवनयापन में सरलता और कारबार में सुगमता की भावना के अनुरूप नहीं है ।

3. विधेयक, दांडिक उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण का और नागरिकों, कारबार और कंपनियों को गौण, तकनीकी या प्रक्रियात्मक व्यतिक्रमों के लिए बिना किसी कारावास के भय का प्रस्ताव करता है । किए गए किसी अपराध के दांडिक परिणाम की प्रकृति भी अनिवार्य रूप से अपराध की गंभीरता के अनुसार होनी चाहिए । यह विधेयक अपराध की गंभीरता और इस संबंध में उपबंधित दंड के परिमाण के बीच एक संतुलन स्थापित करने के लिए है ।

4. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2024, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है,—

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामनिर्दिशन की रीति केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ख) केंद्रीय सरकार औद्योगिक संयंत्रों की कतिपय श्रेणियों को नए आउटलेटों और नए बहिस्रावों पर निर्बंधन से संबंधित धारा 25 के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी ;

(ग) केंद्रीय सरकार किसी राज्य बोर्ड द्वारा किसी उद्योग की स्थापना करने, प्रचालन करने या प्रक्रियागत करने या उपचार और निपटान प्रणाली या नए या वैकल्पिक आउटलेटों आदि को उपयोग में लाने के लिए सहमति अनुदत्त करने, इंकार करने या रद्द करने से संबंधित विषयों पर दिशानिर्देश जारी कर सकेगी ;

(घ) गौण अपराधों का निरपराधीकरण और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में उसे धनीय शास्ति से प्रतिस्थापित करने के लिए ;

(ङ) न्यायनिर्णयन अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति का अधिकारी होगा, द्वारा शास्तियों के न्यायनिर्णयन की रीति ;

(च) नए आउटलेटों और नए बहिस्रावों से संबंधित धारा 25 और मल के विद्‌यमान बहिस्राव या व्यापार अपशिष्ट आदि से संबंधित धारा 26 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए दंड ;

(छ) अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की रकम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा की जाएगी ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
31 जनवरी, 2024

भूपेन्द्र यादव

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक यदि अधिनियमित किया जाता है तो इसमें भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई वित्तीय व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 केंद्रीय सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामनिर्देशन की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को शक्ति प्रदत्त करने के लिए धारा 4 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 3 अध्यक्ष की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए धारा 5 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 10, अन्य बातों के साथ, धारा 45ख को अंत:स्थापित करने के लिए है, जो विधेयक के प्रयोजन के लिए जांच करने की रीति और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

वे विषय, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 6) से उद्धरण

* * * * * *

राज्य बोर्डों का गठन।

4. (1) * * * * *

(2) राज्य बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक अध्यक्ष जो पर्यावरणीय संरक्षण से सम्बन्धित विषयों की बाबत विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा अथवा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा :

परन्तु अध्यक्ष या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक होगा जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझे ;

* * * * * *

सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ।

5. (1) * * * * *

(9) अध्यक्ष की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

* * * * * *

नए निकासों और नए निस्सरणों पर निर्बन्धन ।

25. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति,—

(क) कोई ऐसा उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया, या कोई ऐसी अभिक्रिया और व्ययन प्रणाली या उसमें विस्तार या परिवर्तन न तो स्थापित करेगा और न स्थापित करने की कोई कार्यवाही करेगा जिससे मल या व्यावसायिक बहि:स्राव किसी सरिता या कुएं या मलनाली में या भूमि पर निस्सारित होने की संभावना है (ऐसा निस्सारण जिसे इसके पश्चात् इस धारा में मल का निस्सारण कहा गया है) ; या

(ख) मल के निस्सारण के लिए कोई नया या परिवर्तित निकास उपयोग में नहीं लाएगा ; या

(ग) मल का कोई नया निस्सारण आरंभ नहीं करेगा :

परन्तु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 के प्रारंभ के ठीक पूर्व कोई उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया स्थापित करने की कार्यवाही की ऐसी प्रक्रिया में जिसके लिए ऐसे प्रारंभ के पूर्व सहमति आवश्यक नहीं थी, कोई व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ से तीन मास की अवधि के लिए या, यदि उसने तीन मास की उक्त अवधि के भीतर ऐसी सहमति के लिए आवेदन किया है, तो, ऐसे आवेदन का निपटारा होने तक ऐसा करना जारी रख सकेगा ।

* * * * * *

अध्याय 7

शास्तियां और प्रक्रिया

41. (1) जो कोई धारा 20 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन ऐसे समय के भीतर, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, करने में सफल रहता है वह दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और यदि असफलता जारी रहती है, तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम असफलता के लिए दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

धारा 20 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निदेशों का, या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन जारी किए गए आदेशों का या धारा 33 की उपधारा (2) या धारा 33क के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफलता ।

(2) जो कोई धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का या धारा 33 की उपधारा (2) के के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का या धारा 33क के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहेगा, वह प्रत्येक ऐसी असफलता के संबंध में ऐसी दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष और छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और यदि असफलता जारी रहती है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम असफलता के लिए दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट असफलता दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि से परे जारी रहती है तो अपराधी कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

42. (1) जो कोई,—

कतिपय कार्यों के लिए शास्ति ।

(क) बोर्ड के प्राधिकार द्वारा या के अधीन भूमि पर लगाए गए किसी स्तम्भ, थम्ब या खूंटे को या प्रस्तुत, अन्तर्लिखित या रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा, क्षति पहुंचाएगा या विरूपित करेगा ; अथवा

(ख) बोर्ड के आदेशों या निदेशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधित करेगा ; अथवा

(ग) बोर्ड के किसी संकर्म या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाएगा ; अथवा

(घ) बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी कोई जानकारी देने में असफल रहेगा जिसकी वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे ; अथवा

(ङ) धारा 31 के अधीन किसी दुर्घटना या अन्य अकल्पित कार्य या घटना के होने की सूचना उस धारा द्वारा यथापेक्षित बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों या अभिकरणों को देने में असफल रहेगा ; अथवा

(च) कोई ऐसी जानकारी देने में, जिसका दिया जाना उससे इस अधिनियम

के अधीन अपेक्षित है, जानते हुए या जानबूझकर ऐसा कथन करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है ; अथवा

(छ) धारा 25 या धारा 26 के अधीन कोई सहमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए जानते हुए या जानबूझकर ऐसा कथन करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) जहां धारा 25 या धारा 26 के उपबन्धों के अनुसरण में सहमति देने के लिए मीटर या प्रमापी या अन्य नापने या मानीटर करने की युक्ति अपेक्षित है और ऐसी युक्ति का प्रयोग उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए किया जाता है वहां कोई व्यक्ति, जो जानते हुए या जानबूझकर ऐसी युक्ति को परिवर्तित करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है जिससे वह सही मानीटर या नाप न कर सके तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो [1][दस हजार रुपए] तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

धारा 24 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

43. जो कोई धारा 24 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष और छह मास से कम न होगी, किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

धारा 25 या धारा 26 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

44. जो कोई धारा 25 या धारा 26 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष और छह मास से कम न होगी, किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् वर्धित शास्ति ।

45. यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 24 या धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, पुन: उस उपबन्ध के उल्लंघन के किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम न होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्मान से, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस धारा के प्रयोजन के लिए, उस अपराध के, जिसके लिए दण्ड दिया जा रहा है, किए जाने से दो वर्ष से अधिक पूर्व की गई किसी दोषसिद्धि का संज्ञान नहीं किया जाएगा ।

अधिनियम के कुछ उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

45क. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम के अधीन दिए गए ऐसे किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, वह ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और उल्लंघन या असफलता जारी रहने की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से प्रथम उल्लंघन या असफलता के लिए दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

47. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे : कम्पनियों द्वारा अपराध ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

48. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है वहां, विभागाध्यक्ष को अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा : सरकारी विभागों द्वारा अपराध ।

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

49. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं— अपराधों का संज्ञान ।

(क) किसी बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी ; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की यथापूर्वोक्त बोर्ड या प्राधिकृत अधिकारी को विहित रीति में, कम से कम साठ दिन की सूचना दी है,

और किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

*   *   *   *   *   *

केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति ।

63. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (8) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड के (अध्यक्ष और सदस्य-सचिव से भिन्न) सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

* * * * * *

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

64. (1) * * * * *

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(ङ) धारा 5 की उपधारा (9) के अधीन और धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

* * * * * *